झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

ज्ञापांक :– 7/श०ज०– 02–10/2019– 53(न्टी) राँची, दिनांक :– 12/11/12

सेवा में,

❖ अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार,
झारखण्ड, डोरण्डा, राँची।

द्वारा – आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– राज्य योजना अन्तर्गत 'अन्य व्यय' मद से गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना शीर्ष अधीन झुमरीतिलैया प्रमण्डल अन्तर्गत झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना का एक वर्ष के लिए संचालन एवं सम्पोषण कार्य हेतु राशि रूपये 59.45 लाख (उनसठ लाख पैंतालीस हजार रूपये) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश :– स्वीकृत।

झुमरीतिलैया प्रमण्डल अन्तर्गत झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना का एक वर्ष के लिए संचालन एवं सम्पोषण के भुगतान हेतु राशि **रूपये 59.45040 लाख** के प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, हजारीबाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त प्राक्कलन के आलोक में राशि **रूपये 59.45 लाख (उनसठ लाख पैंतालीस हजार रूपये)** मात्र पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसकी विवरणी निम्न है :–

(राशि लाख में)

क्र०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
I	झुमरीतिलैया शहरी जलापूर्ति योजना का एक वर्ष के लिए संचालन एवं सम्पोषण कार्य (2023–24 एवं 2024–25 एकरारनामा की अवधि तक)	59.45040	**59.45**

(उनसठ लाख पैंतालीस हजार रूपये)

2. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष– 4215– जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय; उप–मुख्य शीर्ष– 01– जल पूर्ति; लघु शीर्ष– 102– ग्रामीण जल पूर्ति; उप शीर्ष– 06– बड़े शहरों में जलापूर्ति योजना (पाईपों से); उप योजना शीर्ष– 01– शहरी जलापूर्ति योजना; विस्तृत शीर्ष– 07– अन्य व्यय; 59– अन्य व्यय (विपत्र कोड– **36S42150110206010759**) शीर्ष के अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट में उपबन्धित राशि रूपये 5000.00 लाख मात्र से होगा।
3. योजनान्तर्गत व्यय होने वाली राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, झुमरीतिलैया होगें तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, कोडरमा से की जाएगी।
4. योजना का कार्य खुली निविदा के व्यापक प्रकाशन एवं नियम सम्मत प्रक्रिया के अनुपालन के पश्चात् ही पूर्ण किये जायेंगे। इस कार्य के Out Sourcing हेतु निविदा में Bidder द्वारा प्रति किलोलीटर जलापूर्ति दर पर निविदा का निस्तार किया जायेगा एवं Water Quality Report, Residual Pressure Report, Coverage Report तथा शिकायतों के निपटारों में लगे समय आदि मोनिटरेबल इंडीकेटर इत्यादि का प्रावधान निविदा में किया जायेगा।
5. जलापूर्ति की मात्रा की गणना हेतु सभी जलापूर्ति योजनाओं में Water Meter का प्रावधान अनिवार्य होगा। Water Meter का अधिष्ठापन स्वीकृत राशि के अन्तर्गत किया जायेगा। Flow Meter तथा Quantification of Water अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा। आपूर्ति किये गये जल की मात्रा का निर्धारण Flow Meter के अलावा अन्य किसी विधि से नहीं किया जायेगा और ऐसा करने पर संबंधित कार्यपालक अभियन्ता एवं संवेदक पर कार्रवाई की जायेगी।
6. नगर निकायों की सहभागिता सभी स्तरों पर संबंधित अधीक्षण अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता सुनिश्चित करेंगे।

7. स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सभी तरह के मरम्मति एवं सम्पोषण/परिचालन कार्य का क्रियान्वयन किया जायेगा। अपनी स्वेच्छा से इस मद में अलग से liability create करने पर संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।
8. यदि स्थानीय निकाय द्वारा योजना संचालन हेतु राशि संबंधित कार्यपालक अभियन्ता को उपलब्ध करायी जाती है, तब उतनी कम राशि की माँग की जायेगी। यदि स्थानीय निकाय शहरी जलापूर्ति योजना के संचालन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है, तब इसकी पूर्ण सूचना विभाग को उपलब्ध कराना आवश्यक होगा तथा अनुमति मिलने पर ही क्रियान्वयन किया जाएगा।
9. योजना का लेखा संधारण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र का प्रस्तुतीकरण संबंधित कार्यपालक अभियंता करेंगे तथा संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसकी जाँच कर पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।
10. संबंधित अधीक्षण अभियंता की यह जिम्मेवारी होगी कि कराये गए कार्यो का भौतिक सत्यापन कर कार्यपालक अभियंता से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र से पूरी तरह् संतुष्ट होने के उपरान्त ही एक उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को समर्पित करेंगे।
11. संबंधित कार्यपालक अभियंता इस आशय का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देंगे कि किसी अन्य योजना की निधि से इस कार्य का न तो दोहरीकरण हुआ है और न होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में इस योजना की राशि का विचलन अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा।
12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।
13. सभी कार्यपालक अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) अपने–अपने दायित्व का निर्वहन विभागीय निर्देशों के अनुरूप करेंगे। दोनो अधीक्षण अभियंता (सिविल/मेकेनिकल) पूर्णतः निगरानी करेंगे।
14. वित्त विभाग के पत्रांक– 2561, दिनांक– 17.04.98, पत्रांक– 1800, दिनांक– 15.07.2003 एवं पत्रांक– 2093, दिनांक– 21.07.2016 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 का अनुपालन भी किया जाएगा।
15. योजना का ब्यौरा www.indiawater.gov.in पर update करना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना की स्वीकृति मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के पत्रांक– 301, दिनांक– 11.03.2015 के क्रम में दी जा रही है।
17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
18. **यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन आदेश निर्गत किया जाएगा।**

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक :– 53 (स्वी) राँची, दिनांक :– 13/11/23

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संबंधित माननीय सांसद और माननीय विधायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

2. उपायुक्त, कोडरमा/कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, राँची/विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/संबंधित अधीक्षण अभियंता/संयुक्त सचिव (प्र०को०)/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/अवर सचिव– 07/प्रशाखा पदाधिकारी– 07/राज्य समन्वयक (IT M&E) SPMU को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)
सरकार के सचिव।

14.11.23